न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 174/2020

1. भरत सिंह पुत्र जमनाराम, जाति जाट, निवासी झांझोत, तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू (राज)
2. महिपाल सिंह पुत्र जमनाराम, जाति जाट, निवासी झांझोत, तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू (राज)

——अपीलान्ट

बनाम

जयपाल सिंह पुत्र जमनाराम, जाति जाट, निवासी झांझोत, तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू(राज)

—— रेस्पोडेन्ट

——

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी. एक्ट 1955 अपील खिलाफ निर्णय बअदाल तहसीलदार चिड़ावा जिला झुझुनू प्रार्थना पत्र अ.धा. 53(2)राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत विभाजन न्याय आपके द्वार अभियान 2017 आदेश क्रमांक/कैम्प गिडानिया/171–14 आदेश दिनांक 07.06.2017

——

उपस्थित

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट– अपीलान्ट्स की ओर से

आदेश

दिनांक 25.01.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार चिडावा के अदेश कमांक आदेश/कैम्प गिडानिया/171–14 दिनांक 07.06.2017 के आदेश के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. के पेश की गई है। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। वकील अपीलान्ट के अनुसार न्याय आपके द्वारा अभियान 2017 कैम्प गिडानिया तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू में दिनांक 07.06.2017 को अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट की तरफ से आपसी रजामन्दी से जमीन हाल खसरा नं. 414,415,592/416 व 416 ग्राम झांझोत का विभाजन करवाने हेतु अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिस पर अदालत मातहत तहसीलदार चिड़ावा ने आदेश/कैम्प गिडानिया/171–14 दिनांक 07.06.2017 के मार्फत आपसी सहमति से खाता विभाजन स्वीकार करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश दिनांक 07.06.2017 के विरूद्व अपीलान्टस की ओर से यह विवरण अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.04 15:30:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

प्रकार है कि अदालत द्वारा पारित आदेश जैर बहस खिलाफ कानून है। प्रकरण में स्थान टिनेन्सी (बोर्ड ऑफ) रेवेन्यू 1955 मे नियमों की पालना नही की गई है। लान्टस राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी नक्शा इत्यादि को नही समझते है। प्रार्थना पत्र अ.धा. 2) आर.टी.एक्ट 1955 कैम्प में पटवारी हल्का ने तैयार किया तथा प्रार्थना पत्र के सलंग्न में प्रविष्टियां भी पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई। पटवारी हल्का अथवा भू अभिलेख क्षक द्वारा जमीन जैर बहस की प्रार्थना पत्र के मुताबिक भौतिक जांच नही की गई तथा न लान्टस को समझाया गया। मुताबिक भौतिक कब्जा विभाजन नही हुआ। जमीन खसरा 671/414 रकबा 0.07 हैक्टर अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट की संयुक्त खातेदारी मे छोड़ दी जबकि उक्त भू भाग पर विभाजन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पहले से अपीलान्टस के ता रिहायशी मकानात है। इस प्रकार मुताबिक भौतिक कब्जे के आपसी विभाजन नही हुआ। लत मातहत ने आदेश जैर बहस पारित करने से पूर्व इस तथ्य की जांच नही करवाई की था प्रार्थना पत्र में दर्ज अनुसार भौतिक कब्जा काश्त है। बिना भौतिक जांच के आदेश बहस पारित हुआ है। विभाजन के बक्त कृषि भूमियों में आने जाने हेतु रास्ता छोड़े जाने कानून में व्यवस्था है। अदालत मातहत ने बंटवारा में रास्ते के लिये जमीन तय नही कर व विधि की भूल की है। अदालत मातहत ने नक्शें में जमीन हाल खसरा नं. 671/414 678/416 को रास्ते के रूप में दर्शित कर रखा है परन्तु उक्त स्थान से रास्ता की जमीन डे जाना संभव नही है क्योकि खसरा नं. 671/414 के अधिकांश भू–भाग पर अपीलान्टस पुख्ता मकान सन् 1982 से बना हुआ है। अपीलान्टस ने राजस्व रिकॉर्ड को समझने में क्षम नही है। दिनाक 28.06.2020 को रेस्पोडेन्ट ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जमीन खसरा नं. 1/414 व 678/416 को रास्ते की भूमि होना कथित कर अपीलान्टस के मकानात को तोड़कर रास्ता निकालने की धमकी दी। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा न्याय आपके द्वारा अभियान 2017 नंबर/कैम्प गिडानिया/171–44 आदेश दिंनाक 07.06.2017 बाबत विभाजन जमीन हाल खसरा नं. 414,415,592/416 व 416 सरहद मौजा झांझोत तहत तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू को अपास्त किया जाकर प्रकरण को इस निर्देश के साथ अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित किया जावें कि अदालत मातहत राजस्थान टिनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 के प्रावधानों के मुताबिक भौतिक कब्जे के मुताबिक रास्ता कायम करते हुये अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस के मध्य पुनः विधिवत विभाजन करें।

रेस्पोडेन्ट बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नही। वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत द्वारा पारित आदेश जैर बहस खिलाफ कानून है। प्रकरण में राजस्थान टिनेन्सी (बोर्ड ऑफ) रेवेन्यू 1955 मे नियमों की पालना नही की गई है। पटवारी हल्का अथवा भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जमीन जैर बहस की प्रार्थना पत्र के मुताबिक भौतिक जांच नही की गई तथा न अपीलान्टस को समझाया गया। मुताबिक भौतिक कब्जा विभाजन नही हुआ। जमीन खसरा नं. 671/414 रकबा 0.07 हैक्टर अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट की संयुक्त खातेदारी मे छोड़ दी गई जबकि उक्त भू भाग पर विभाजन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पहले से अपीलान्टस के पुख्ता रिहायशी मकानात है। इस प्रकार मुताबिक भौतिक कब्जे के

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.04 15:30:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

आपसी विभाजन नही हुआ। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा न्याय आपके द्वारा अभियान 2017 क्रमांक/कैम्प गिडानिया/171–44 आदेश दिंनाक 07.06.2017 बाबत विभाजन जमीन हाल खसरा नं. 414,415,592/416 व 416 सरहद मौजा झाझोत तहत तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू को अपास्त किया जाकर प्रकरण को इस निर्देश के साथ अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित किया जावें कि अदालत मातहत राजस्थान टिनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 के प्रावधानों के मुताबिक भौतिक कब्जे के मुताबिक रास्ता कायम करते हुये अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस के मध्य पुनः विधिवत विभाजन करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अपीलान्ट का मुख्य कथन यह है कि अदालत मातहत द्वारा विभाजन का आदेश पारित करने से पूर्व राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के नियमों की पालना नहीं की तथा आपसी रजामन्दी से किये गये विभाजन में विवादित आराजी की बाबत भौतिक कब्जे की जांच नही की, जिससे मौके पर जिन खसरा नम्बरान पर रास्ते को दर्शित किया गया है, उस स्थान पर अपीलान्ट के पुराने आवासिय मकान निर्मित है। प्रकरण आपसी रजामन्दी पर भूमि के विभाजन का है, अपीलान्ट का कथन सही है कि अदालत मातहत को विभाजन से पूर्व भौतिक कब्जे की जांच की जाने चाहिए थी। अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि अदालत मातहत मौके पर सभी पक्षकारों की यदि रजामन्दी हो तो में बंटवारे का प्रस्ताव तैयार करें तथा अपीलान्ट द्वारा बताये जा रहे रास्ते की भूमि उसके पुख्ता मकान है या नहीं की जांच करते हुये पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। साथ ही अगर वर्तमान में पक्षकारों के मध्य विवाद है तो अपीलान्ट समक्ष न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है तथा ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.04 15:30:06 IST
Reason: SelfAttested